झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

संख्या : 13 / मु01–27 / 2018 / ......619 (नि0प्रा)...... दिनांक 26 / 08 / 2021

राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 1987, 1988, 1994 एवं 1999–2000 में मैट्रिक प्रशिक्षित पद के विरूद्ध विधिवत् रूप से नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षक विभागीय संकल्प सं0–3027 दिनांक 14.12.2015 के आलोक मे नियुक्ति की तिथि से ग्रेड–1 की आपसी वरीयता निर्धारित करने के साथ–साथ कुछ जिलों के द्वारा वेतनमान का लाभ भी दिया गया है।

2. उक्त के आधार पर बोकारो जिले मे कार्यरत नन्द किशोर नायक एवं अन्य द्वारा डब्लू0पी0(एस0) सं0–7392 / 2017 दायर किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा दिनांक 26.09.2018 को पारित न्यायादेश का अनुपालनीय अंश निम्नवत है–

"Surprisingly the benefits have been extended to all the teachers except the teachers of Bokaro, Jamshedpur, Dumka and Chaibasa. The stand of the respondent is discriminatory and in complete violation of Article 14, I hereby direct the respondents, particularly, respondent No.1 to take a uniform decision for extending the actual benefits of promotion to the petitioners within a period of 12 weeks from the date of receipt of a copy of this order.

Let a copy of this order be circulated to the departmental heads of all the districts of Jharkhand.

The Secretary of the Education Department is directed to circulate the order to all concerned authorities, who are responsible for making payment."

राज्य के सभी जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम तथा गढ़वा जिला द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से मात्र ग्रेड–1 की वरीयता प्रदान की गयी है उन्हें नियुक्ति की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। शेष सभी जिला द्वारा कुछ अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से वरीयता के साथ–साथ प्रशिक्षित वेतनमान का भुगतान भी किया गया है और आलोच्य वर्ष में कुछ अप्रशिक्षित शिक्षकों को मात्र वरीयता का लाभ प्रदान किया गया है।

3. विभागीय संकल्प सं0–3027 दिनांक 14.12.2015 के क्रम में निर्गत अनुवर्ती संकल्प संख्या 1145 दिनांक 18.07.2019 की कंडिका (10) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व विभागीय संकल्प सं0–3027 दिनांक 14.12.2015 के आलोक में वर्ष 1987 एवं 1988 में नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा नियमानुसार वैद्य रूप से ली गयी राशि की वसूली नहीं की जायेगी।

विभागीय संकल्प सं0–1145 दिनांक 18.07.2019 की कंडिका–7(क) के अनुसार बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 1991 (यथा संशोधित, 1993) के तहत् बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों के संदर्भ में विभागीय संकल्प सं0–3027 दिनांक 14.12.2015 के द्वारा देय सुविधा अपरिवर्तित रहेगा।

न्यायादेश के आलोक में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि संकल्प संख्या–3027, दिनांक 14.12.2015 एवं संकल्प संख्या–1145, दिनांक 18.07.2019 के आलोक में निर्णय लेने हेतु विभाग स्वयं सक्षम है।

माननीय न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया है, जो कि निम्नवत् है :–

"For compliance of the aforesaid order a Contempt Case (C) No. 400/2019 has been filed which is pending.

Khurshid

*Under the Government Primary Schools Teachers Promotion Rules, 1993, **Grade-I means pay scale.***

It has been settled by the decision of the Hon'ble High Court and Hon'ble Supreme Court that Grade-I scale is to be given to all the similarly situated persons from the date of appointment and not from the date of completion of training.

However, discrimination has arisen because of different principles being followed differently in the District and in that regard two resolution no. 1145 dated 18.07.2019 have been issued in past which still has not resolved the issue.

Assistant Teachers in all the districts are getting Grade-I pay scale from the date of appointment and actual payment from 15.11.2000 when the State of Jharkhand has been created. Only in the district of Bokaro, Dumka, Jamshedpur and Garhwa the notional scale has been given with no actual payment.

It is in this context that the order has been passed by the Hon'ble High Court in WP(S) No. 7392/2017 which is pending for compliance and contempt case no. 400/2019 has been filed.

I have seen the draft order which is to be issued under the signature of Secretary, School Education and Literacy Department (Primary Education Directorate) which is at page 331/C.

In this proposed order to be issued, again the order is being issued that except for the Assistant Teachers appointment in 1994, 1999 and 2000, the rest of teachers will be given notional pay scale and not actual payment. This order would be in violation of the order passed in WP(S) No. 7392/ 2017 and it would not amount to compliance of the order.

The order, therefore, which is proposed to be passed for compliance of the order and direction passed in WP(S) No. 7392/2017 therefore be accordingly modified to ensure compliance by giving benefits on par with other districts and by bringing uniformity in implementation."

माननीय न्यायालय के न्यायादेश पर प्राप्त विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–3027, दिनांक 14.12.2015 एवं संकल्प संख्या–1145, दिनांक 18.07.2019 राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 के अनुसार विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति देने के संबंध में निम्नवत् निर्णय लिया जाता है :–

(i) विभागीय संकल्प संख्या–3027, दिनांक 14.12.2015 एवं संकल्प संख्या–1145, दिनांक 18.07.2019 से आच्छादित सहायक शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से वरीयता के साथ–साथ ग्रेड–1 का वेतनमान भी देय होगा।

(ii) राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 के प्रावधान के अनुसार ग्रेड–2 की प्रोन्नति नियुक्ति की तिथि से 12 वर्ष के उपरांत देय होगा। बशर्ते कि उनके द्वारा 12 वर्ष के अंदर प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया हो। चूँकि इस प्रोन्नति में पद एवं आरक्षण रोस्टर इत्यादि की गणना नहीं की जाती है। यह कालबद्ध प्रोन्नति के सदृश्य है। अतः इस प्रोन्नति का बकाया भी देय होगा।

(iii) राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 के प्रावधान 6 (1) (2) (3), के अनुसार क्रमशः ग्रेड–3, ग्रेड–4 एवं ग्रेड–7 में नियमित प्रोन्नति निर्धारित

Khurshid

कालावधि, वांछित योग्यताधारी होने पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार पद की उपलब्धता पर देय है।

शिक्षकों के पारस्परिक वरीयता निर्धारण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में लगभग एक दशक तक वादों के लंबित रहने के कारण समय पर सहायक शिक्षकों की प्रोन्नति बाधित रही है, जिससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक वादों में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का न्यायादेश प्राप्त होते रहा है। WP(S) No. 7779/2011 दिनेश चन्द महतो बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश को एल.पी.ए. संख्या 211/2019 एवं एस.एल.पी. संख्या 10742/2021 में यथावत् रखा गया है।

अतः ग्रेड–3, ग्रेड–4, एवं ग्रेड–7 में देय नियमित प्रोन्नति संशोधित वरीयता सूची के अनुसार पद उपलब्धता की तिथि से वैचारिक रूप से प्रदान की जायेगी। क्योंकि संकल्प संख्या–1145, दिनांक 18.07.2019 की कंडिका–7 (ख) (iii) के अनुसार यह वैचारिक ही देय है।

(iv) संकल्प संख्या–1145, दिनांक 18.07.2019 की कंडिका–7 (क) (i) के अनुसार पूर्व में दी गई प्रोन्नति को रद्द नहीं किया जायेगा परन्तु भूतलक्षी प्रभाव से पद उपलब्ध होने की स्थिति में वैचारिक रूप से देय प्रोन्नति के तिथि को परिवर्तित कर दिया जाय।

(v) नियमित प्रोन्नति देने के उपरांत सहायक शिक्षक योगदान नहीं करने की स्थिति में उनको वैचारिक प्रोन्नति देय नहीं होगी।

(vi) वैचारिक प्रोन्नति देने के उपरांत उच्चतर ग्रेडों में प्रोन्नति देने हेतु वरीयता सूची का निर्माण राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 के प्रावधान–7 एवं 8 के अनुरूप किया सकेगा।

26/08/21

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 13/मु01–27/2018/ 619(वि०) रांची, दिनांक 26/08/2021

प्रतिलिपि : सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक तथा सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/08/21

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।